

HARYANA GOVERNMENT
HUMAN RESOURCES DEPARTMENT

No. 23/ 5/2022-5HR-I

To :

1. All the Administrative Secretaries to Government Haryana.
2. All the Heads of the Departments in the State of Haryana.
3. All the Divisional Commissioners & Deputy Commissioners in the State of Haryana.
4. All the Managing Directors/Chief Administrators of Boards and Corporations of the Haryana State.

Dated Chandigarh, the 03rd January, 2023.

Subject: Regarding merger of various departments of Government of Haryana.

Sir/Madam,

I am directed to invite your kind attention to the Notification No. 6/4/2022-Cabinet, dated 01.01.2023 (copy enclosed) vide which several departments of Haryana have been merged /dissolved/ restructured by amendment in the Business of the Haryana Government (Allocation) Rules, 1974.

2. Now, you are requested to do needful for subsequent amendments in departmental Acts/Rules, if any, as per above said notification.
3. These instructions may be brought to the notice of all concerned for strict compliance.

Yours faithfully,


Under Secretary Human Resources,
for Chief Secretary to Government Haryana



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 1-2023/Ext.] CHANDIGARH, SUNDAY, JANUARY 1, 2023 (PAUSA 11, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग
मन्त्रिमण्डल सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 1 जनवरी, 2023

संख्या 6/4/2022-1 मन्त्रिमण्डल.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, बंडारू दत्तात्रेय, राज्यपाल, हरियाणा, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) नियम, 1974, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता हूँ, अर्थात्—

1. ये नियम हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) तृतीय संशोधन नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) नियम, 1974 में, अनुसूची में,—
 - I. "पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार, पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग के माध्यम से)" शीर्ष तथा उसके नीचे प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
 - II. "कला तथा सांस्कृतिक मामले विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार, कला तथा सांस्कृतिक मामले विभाग के माध्यम से)" शीर्ष तथा उसके नीचे प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
 - III. "चक्रवर्ती विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार, चक्रवर्ती विभाग के माध्यम से)" शीर्ष तथा उसके नीचे विद्यमान प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
 - IV. "शिक्षा विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार, शिक्षा विभाग के माध्यम से)" शीर्ष के नीचे, क्रम संख्या 3 की मद (प), 13 तथा 14 और उनके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
 - V. "निर्वाचन विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार, निर्वाचन विभाग के माध्यम से)" शीर्ष तथा उसके नीचे प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित शीर्ष तथा उसके नीचे प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्—

"ऊर्जा विभाग

(प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, ऊर्जा विभाग के माध्यम से)

क विद्युत

1. पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान सरकारों के मध्य हुए समझौतों सहित भाखड़ा-नंगल परियोजना।
2. भाखड़ा-नंगल उच्चाधिकार समिति की रिपोर्ट तथा इसके अनुवर्ती कार्यवाही।
3. बिजली निरीक्षणालय—इससे सम्बन्धित सभी मामले।
4. बिजली शुल्क—इससे सम्बन्धित सभी मामले।

(1)

5. सामान्य प्रशासन विभाग को आबंटित मामलों के सिवाए विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन अधिकारियों तथा अमले की स्थापना से सम्बन्धित मामले।
6. विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम 36) का प्रशासन तथा उनका क्रियान्वयन।
7. सिंचाई तथा विद्युत अनुसंधान संस्था—केवल विद्युत विभाग से सम्बन्धित सभी मामले।
8. पंचवर्षीय योजनाओं के लिए विद्युत स्कीमें तथा भावी योजनाएं—अन्वेषण तथा उनका सूत्रीकरण।
9. बहुउद्देशीय नदी योजनाएं—केवल विद्युत के सम्बन्धित मामले।
10. हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के संकर्मों के लिए भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित सभी मामले।
11. हरियाणा बिजली सुधार अधिनियम, 1997 (1998 का 10) का प्रशासन तथा क्रियान्वयन।
12. हरियाणा बिजली विनियामक आयोग से सम्बन्धित सभी मामले।
13. हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड से सम्बन्धित सभी मामले।
14. हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से सम्बन्धित सभी मामले।
15. हरियाणा बिजली वितरण कम्पनियों जैसे उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम तथा दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम से सम्बन्धित सभी मामले।
16. निदेशक, विद्युत सुधार से सम्बन्धित सभी मामले।

ख नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग

1. राज्य में नीति बनाने, नवीकरणीय ऊर्जा के विकास तथा प्रवर्तन करने से सम्बन्धित सभी मामले।
2. राज्य में प्रौद्योगिकियों पर आधारित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के संसाधनों के लिए प्रबन्ध करना।
3. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकियों के प्रसार के सम्बन्ध में कार्यक्रमों की योजना बनाना तथा कार्यान्वित करना।
4. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के क्षेत्र में अनुसंधान संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, भारत सरकार के गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मन्त्रालय तथा भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण लिमिटेड दोनों से सम्पर्क बनाने से सम्बन्धित सभी मामले।
5. ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का केन्द्रीय अधिनियम 52) का कार्यान्वयन।
6. प्रबन्धन की ओर से मांग (डी एस एम)।
7. ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का विकास तथा उपयोग।
8. विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम 36) के ऊर्जा के नवीन और नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन को प्रवर्तन करने से सम्बन्धित विभिन्न सुसंगत खण्डों को कार्यान्वित करना।
9. सामान्य प्रशासन विभाग को आबंटित मामलों को छोड़कर, प्रशासकीय विभाग के नियन्त्रणाधीन अधिकारियों तथा अमले से सम्बन्धित सभी स्थापना मामले।

VI. "सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिक्स तथा संचार विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिक्स तथा संचार विभाग के माध्यम से)" शीर्ष तथा उसके नीचे विद्यमान प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;

VII. (i) "पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग के माध्यम से)" शीर्ष के स्थान पर; "पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग (प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग के माध्यम से)" शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) उक्त शीर्ष के नीचे, विद्यमान कम संख्याओं और उनके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित उप-शीर्ष, कम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:-

"वन

1. वन बंदोस्त, वनीकरण, कटान, मृदा संरक्षण और अनाच्छादन, वन कार्य योजना, वन ठेके, इमारती लकड़ी, बांस, भाबर घास, राल और तारपीन की बिक्री और अन्य वन उपज और सहबद्ध मामलों सहित वन विभाग से संबंधित सभी मामले।

2. निम्नलिखित अधिनियमों के प्रशासन से संबंधित सभी मामले:-
 - (i) भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का केन्द्रीय अधिनियम 16);
 - (ii) हरियाणा भू-परिरक्षण अधिनियम, 1900 (1900 का पंजाब अधिनियम II);
 - (iii) पटियाला वन अधिनियम, 1999 Bik.
 - (iv) हरियाणा वन (इमारती लकड़ी की बिक्री) अधिनियम, 1913 (1913 का पंजाब अधिनियम 3);
 - (v) वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम 53) और इसके अधीन बनाए गए नियम।
3. सामान्य प्रशासन विभाग को आर्बिट्रेट मामलों को छोड़कर विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संबंधित स्थापना मामले।
4. अखबारों कागज और अन्य वन आधारित उद्योग।
5. भारतीय वन सेवा।
6. वनस्पतियों और जीवों का संरक्षण।
7. पक्षी और जंगली जानवरों का संरक्षण (इसमें वनों में जीवन का संरक्षण शामिल है)।
8. राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों और पक्षी अभयारण्यों का प्रबंधन और चिड़ियाघर, हिरण पार्क, वन्य जीवन प्रजनन केंद्र और वन्य जीवन अभयारण्यों का प्रबंधन।
- VIII. "वित्त तथा संस्थागत वित्त और ऋण नियन्त्रण विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त तथा संस्थागत वित्त और ऋण नियन्त्रण विभाग के माध्यम से)" शीर्ष के नीचे, कम संख्या 34 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, अन्त में, निम्नलिखित कम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:-

"35. निदेशालय, आपूर्ति एवं निपटान।"
- IX. "वन विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार, वन विभाग के माध्यम से)" शीर्ष तथा उसके नीचे विद्यमान प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
- X. "सामान्य प्रशासन विभाग (मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से)" शीर्ष के नीचे,-
 - (i) "(ख) सामान्य" उप-शीर्ष के नीचे, कम संख्या 28 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, अन्त में, निम्नलिखित कम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:-
 29. "सरकारी विभागों में प्रशासनिक सुधारों से सम्बन्धित सभी मामले तथा संगठन की भूमिका तथा कार्यद्वग।
 30. प्रशासनिक सुधार आयोग से सम्बन्धित सभी मामले तथा इनकी रिपोर्टों पर अनुवर्ती कार्यवाई।
 31. सरकारी कर्मचारियों के संगमों से सम्बन्धित नीति।
 32. कार्यालयों का वर्गीकरण।
 33. विभिन्न विभागों में विलम्ब जांच तथा अन्य प्रशासनिक गलतियों के लिए निरीक्षण।
 34. सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मिलित परामर्शक संगठन।
 35. सरकारी विभागों में अभिलेख प्रबन्ध से सम्बन्धित नीति।
 36. सचिवालय अनुदेशों तथा कार्यालय निर्देशिकाओं का पुनरीक्षण तथा अद्यतन करना।
 37. कर्मचारी-वृन्द अपेक्षाओं के निर्धारण के लिए सरकार के विभिन्न विभागों के कार्य का अध्ययन।
 38. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 22)।
 39. राज्य सूचना आयोग से सम्बन्धित सभी मामले।
 40. विभागों के नागरिक अधिकार-पत्रों को तैयार करना तथा लागू करना।
 41. हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग।

42. सामान्य पात्रता परीक्षा के संबंध में नीति।
 43. निगरानी तथा समन्वय विभाग।
 - (ii) उप-शीर्ष "(च) प्रशासनिक सुधार" तथा उसके नीचे विद्यमान प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
 - (iii) "(ज) नागरिक संसाधन सूचना" उप-शीर्ष के नीचे, कम संख्या 8 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, अन्त में, निम्नलिखित कम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:-
 - "9. कंप्यूटर आधारित सूचना, प्रौद्योगिकी और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सहित प्रसंस्करण और प्रक्रियाओं के मानकीकरण से संबंधित सभी मामले।
 10. सभी प्रौद्योगिकी मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन के अलावा सिलिकॉन से संबंधित।
 11. इलेक्ट्रॉनिक्स प्रसंस्करण उपकरणों से संबंधित आवश्यकताओं का समन्वय (कंप्यूटर)।
 12. सामान्य प्रशासन विभाग को आबंटित मामलों को छोड़कर विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संबंधित स्थापना संबंधी मामले।
 13. राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली का विकास एवं संवर्धन करना।
 14. सूचना प्रौद्योगिकी और उपकरणों के तेजी से विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करना।
 15. डाटा बेस सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली विकसित करना एवं निर्माण करने वाली इकाइयों एवं प्रमोटरों, उद्यमियों को डाटा बेस की सुविधा प्रदान करना।
 16. राज्य के विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों को आपस में जोड़ना एवं एक सामान्य सूचना हैज नेटवर्क तैयार करना।
 17. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण और जनशक्ति विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करना।
 18. भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दूरसंचार क्षेत्र पर जारी संचार प्रौद्योगिकी एवं अन्य सभी दिशा निर्देशों से संबंधित सभी मामलों में राज्य की नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।
 - (iv) "(झ) मानव संसाधन विभाग" उप-शीर्ष के नीचे, कम संख्या 3 तथा 4 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
- XI. "स्वास्थ्य विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से)" शीर्ष तथा उसके नीचे प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित शीर्ष तथा उसके नीचे प्रविष्टियां रखी जायेगी, अर्थात्:-
- "विरासत तथा पर्यटन विभाग**
- (प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, विरासत तथा पर्यटन विभाग के माध्यम से)
1. हरियाणा प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (1964 का पंजाब अधिनियम 20) और उससे सम्बन्धित सभी मामले।
 2. **पुरातत्व**
 - (i) राज्य संरक्षित स्मारकों/स्थलों और अवशेषों का अनुसंधान, संरक्षण और परिरक्षण।
 - (ii) पुरातत्वीय अन्वेषण और उत्खनन संचालित करना।
 - (iii) स्मारकों और पुरातत्व विषयक अवशेषों का रासायनिक परिरक्षण।
 - (iv) स्मारकों का पुरातत्वीय सर्वेक्षण।
 - (v) पुरालेखशास्त्रीय अनुसंधान तथा प्रकाशनों का विकास।
 3. **संग्रहालय**
 - (i) संग्रहालयों के पुनर्गठन की स्थापना।
 - (ii) प्रदर्शनियों का आयोजन, विधियों का पुनर्गठन/आधुनिकीकरण।
 - (iii) चुनिंदा संग्रहालयों की कलाकृतियों के प्लास्टर कास्ट्स/फाईबर ग्लास प्रतिकृतियों की बिक्री।
 - (iv) कला वस्तुओं का अधिग्रहण।

4. सामान्य प्रशासन विभाग को आबंटित मामलों को छोड़कर विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन अधिकारियों तथा कर्मचारियों से सम्बन्धित स्थापना मामले।
5. पर्यटन
 1. पर्यटन बंगलों का निर्माण/अनुरक्षण।
 2. पर्यटन केन्द्रों के विकास एवं प्रचार प्रसार सहित पर्यटन का विकास।
 3. सामान्य प्रशासन विभाग को आबंटित मामलों को छोड़कर विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अधिकारियों तथा कर्मचारियों से संबंधित स्थापना मामले।
 4. स्थानीय पर्यटन सलाहकार समितियाँ।
 5. राज्य पर्यटन विकास बोर्ड।
 6. पर्यटकों के लिए परिवहन सुविधाएं।

उच्चतर शिक्षा

(प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग के माध्यम से)

उच्चतर शिक्षा

1. राज्य शिक्षा संस्थान।
2. डिग्री और डिप्लोमा आदि की मान्यता।
3. विश्वविद्यालय और उनका प्रशासन।

तकनीकी शिक्षा

1. कार्मिक, सामान्य प्रशासन, प्रशासनिक सुधार तथा प्रशिक्षण विभाग को आवंटित मामलों को छोड़कर, विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अधिकारियों तथा अमले से सम्बन्धित स्थापना मामले।
2. डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान करना।
3. परीक्षाएं आयोजित करवाना, उनके नियम बनाना और डिप्लोमा प्रदान करना।
4. शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों का निपटान करना।
5. सभी राजकीय बहुतकनीकियों/संस्थाओं के आय-व्यय के लेखों का निरीक्षण तथा लेखा-परीक्षा करना।
6. सरकारी सहायताप्राप्त तकनीकी संस्थाओं के आय-व्यय के लेखों का निरीक्षण और लेखा-परीक्षा करना।
7. विभाग के योजना और गैर योजना बजट तैयार करना और विभिन्न योजनाओं (योजना और गैर योजना) के कार्यन्वयन की निगरानी करना।
8. तकनीकी शिक्षा के विस्तार, सुधार और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं की परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।
9. छात्रों के लिए छात्रवृत्ति/वजीफा और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना।
10. दोनों पोस्ट डिप्लोमा, डिप्लोमा और डिग्री स्तर के कोर्सों पर तकनीकी शिक्षा का विकास करना और बढ़ावा देना।
11. औषधीय शिक्षा।
12. समाज के कमजोर वर्गों से सम्बन्धित छात्रों के लिए नीतियों का सूत्रीकरण।
13. सभी स्तर पर तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए नीतियों का सूत्रीकरण।
14. सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा, पूर्व स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर तकनीकी शिक्षा का विनियमन तथा मानकीकरण।
15. तकनीकी शिक्षा से सम्बन्धित सभी सरकारी संस्थानों या तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा खोले जाने वाले किसी अन्य संस्थान का प्रशासन तथा नियन्त्रण।
16. विभाग के क्षेत्र में आने वाले सभी सरकारी तथा निजी संस्थाओं की परीक्षा, दाखिले, फीस और सभी आनुषंगिक मामलों का विनियमन।

17. तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए निधियों की व्यवस्था करना तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से तकनीकी शिक्षा में निवेश को बढ़ावा देना।
18. विभिन्न स्कीमों के अधीन भारत सरकार से निधियां जुटाना और इन स्कीमों को कार्यान्वित करना तथा विभिन्न स्कीमों के अधीन निधियों का संवितरण करना।
19. सभी ए.आई.सी.टी.ई. AICTE द्वारा मंजूर किए गए सभी कोर्सिस जैसे इंजीनियरिंग, एम0बी0ए0, एम0सी0ए0, होटल प्रबंधन तथा कैटरिंग तकनीक, फार्मसी, वास्तुकला, डिप्लोमा इत्यादि का विनियमन तथा निगरानी करना।
20. तकनीकी शिक्षा में मानव संसाधनों की जरूरतों की मैपिंग करना तथा राज्य की जरूरतों के अनुसार मानव संसाधन विकास की प्लानिंग करना, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू करना।
21. सभी स्तर पर तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता के लिए तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाली राज्य/निजी तथा डीम्ड विश्वविद्यालयों की सभी तकनीकी संस्थानों की मूलभूत संरचना, संकाय, मशीनरी उपकरण तथा अन्य सुविधाओं को जांचने के लिए निरीक्षण तथा निगरानी करना।
22. तकनीकी शिक्षा संस्थाओं तथा कोर्सों का पुनर्गठन।
23. तकनीकी शिक्षा में अन्तरराज्य तथा अन्तरराज्यीय समन्वय।
24. तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण।
25. तकनीकी शिक्षा निम्नलिखित सहित तथा उससे सम्बन्धित सभी मामले—
 - (क) हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2008 (2008 का 19)
 - (ख) हरियाणा निजी तकनीकी शिक्षण संस्था (प्रवेश तथा शुल्क विनियमन) अधिनियम, 2012 (2012 का 18)
 - (ग) हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा समिति।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी

1. कृषि और उद्योग के लिए नई तकनीक की पहचान।
 2. नई प्रौद्योगिकी के प्रसंस्करण की व्यवस्था से संबंधित सभी मामले।
 3. अनुसंधान संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के साथ संपर्क से संबंधित सभी मामले विश्वविद्यालयों और भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग।
 4. राज्य में नवीन प्रौद्योगिकी का प्रसार।
- XII. "उद्योग तथा वाणिज्य विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार, उद्योग तथा वाणिज्य विभाग के माध्यम से)" शीर्ष के नीचे, कम संख्या 59 तथा उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित कम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—
- "59. मेटलर्जिकल ग्रेड सिलिकॉन के अलावा सिलिकॉन से संबंधित सभी प्रौद्योगिकी।
 60. इलेक्ट्रॉनिक्स प्रसंस्करण उपकरणों से संबंधित आवश्यकताओं का समन्वय।
 61. इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास और इसके विभिन्न उपयोगकर्ताओं के बीच समन्वय।
 62. निर्माण इकाइयों और प्रमोटरों/उद्यमियों के लिए प्रौद्योगिकी सेवा और अनुकूल वातावरण प्रदान करना।
 63. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण और जनशक्ति विकास के लिए बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करना।
 64. दूरसंचार क्षेत्र पर भारत सरकार समय-समय पर संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित अन्य सभी मामलों में राज्य की नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और दिशा-निर्देशों को जारी करने के लिए।
 65. हार्डवेयर।
- XIII. "सूचना, लोक संपर्क तथा भाषा विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार, सूचना, लोक संपर्क तथा भाषा विभाग के माध्यम से)" शीर्ष के स्थान पर,—
- (i) निम्नलिखित शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"सूचना, लोक संपर्क तथा भाषा विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार, सूचना, लोक संपर्क तथा भाषा विभाग के माध्यम से)" शीर्ष के स्थान पर, सूचना, लोक संपर्क, भाषा तथा संस्कृति विभाग (प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, सूचना, लोक संपर्क, भाषा तथा संस्कृति विभाग के माध्यम से)";

- (ii) विद्यमान क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित उप-शीर्ष तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्—

“संस्कृति

1. डेटा का संकलन और कला से संबंधित सूचना का प्रसार और संस्कृति।
 2. भारत या विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से होनहार कलाकारों को प्रोत्साहित करना।
 3. सामान्य प्रशासन विभाग को आर्बिट्रिट मामलों से विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संबंधित स्थापना मामले।
 4. हरियाणा के लोगों के मन में सौंदर्य स्वाद को बढ़ावा देना।
 5. व्यक्तियों के सभी वर्गों और विशेष रूप से प्रतियोगिताओं के आयोजन सहित हर तरह से स्कूल जाने वाले छात्रों के साथ-साथ महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच संगीत, नाटक, नृत्य, चित्रकला, संस्कृति आदि को बढ़ावा देना।
 6. हरियाणा में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित संस्थानों को सहायता अनुदान देना।
 7. सांस्कृतिक प्रदर्शनों को देना या प्रायोजित करना, वास्तविक प्रदर्शनों सहित और संगीत या नृत्य प्रदर्शन।
 8. कला विषयों पर सम्मेलन, सेमीनार आदि का आयोजन करना।
 9. फिल्मों का निर्माण या निर्माण में सहायता करना।
 10. संगीत, नृत्य, संस्कृति आदि के लिए समर्पित अकादमी या अकादमियों की स्थापना या स्थापना में सहायता करना।
 11. कला संग्रहालय की स्थापना या स्थापना में सहायता करना।
 12. कला और संस्कृति पर पुस्तकों, फिल्मों, अगिलेखों आदि के संग्रह के लिए समर्पित पुस्तकालयों की स्थापना या स्थापना में सहायता करना।
 13. समस्त शासकीय भवनों की कलात्मक साज-सज्जा का कार्य करना;
- XIV. श्रम तथा रोजगार विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम तथा रोजगार विभाग के माध्यम से) शीर्ष के नीचे,—
- (i) श्रम तथा रोजगार विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम तथा रोजगार विभाग के माध्यम से) शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—
“श्रम विभाग (प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम विभाग के माध्यम से)”;
 - (ii) उप शीर्ष “(ख) रोजगार” तथा उसके नीचे प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा।
- XV. “नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के माध्यम से)” शीर्ष तथा उसके नीचे प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
- XVI. “विद्युत विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार, विद्युत विभाग के माध्यम से)” शीर्ष तथा उसके नीचे प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
- XVII. “राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग के माध्यम से)” शीर्ष के नीचे,—
- (i) क्रम संख्या 63 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, अन्त में, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्—
“64. अग्निशमन कार्यालय।”;
 - (ii) उप-शीर्ष “(क) पुनर्वास” के नीचे, क्रम संख्या 3 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित उप-शीर्ष तथा उसके नीचे प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्—
“(ख) चकबंदी
1. हरियाणा जोत (चकबंदी तथा खण्डकरण रोकथाम) अधिनियम, 1948 (1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 50) के प्रशासन सहित जोत संचालन के समेकन से संबंधित सभी मामले।
 2. विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित स्थापना मामले, सामान्य प्रशासन को आर्बिट्रिट मामलों को छोड़कर;
- XVIII. “विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से)” शीर्ष तथा उसके नीचे प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;

XIX. "कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग (प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से)" शीर्ष तथा उसके नीचे प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;

XX. सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग के माध्यम से) शीर्ष के नीचे,—

(i) "सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग के माध्यम से) शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण और अंत्योदय (एस.ई.डब्ल्यू.ए.) विभाग (प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता, अनुसूचित जातियाँ एवं पिछड़े वर्ग कल्याण और अंत्योदय (एस.ई.डब्ल्यू.ए.) विभाग के माध्यम से)";

(ii) विद्यमान कम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित उप-शीर्ष तथा उसके नीचे प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—

"अनुसूचित जातियाँ तथा पिछड़े वर्ग कल्याण"

1. अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग तथा विमुक्त जाति के कल्याण हेतु बनाई गई योजनाओं के क्रियान्वयन के मामले में अन्य विभागों के क्रियाकलापों का समन्वय, पर्यवेक्षण एवं निर्देशन, उदाहरण के लिए शिक्षा विभाग हरिजन शैक्षिक रियायत योजना, उद्योग एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग औद्योगिक प्रशिक्षण स्कूल, स्थानीय निकाय विभाग, स्वीपर्स और मैला ढोने वालों आदि के रहने और काम करने की स्थिति में सुधार के लिए।

2. अस्पृश्यता के प्रशासन सहित अस्पृश्यता का उन्मूलन(अपराध) अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 22)।

3. सामान्य प्रशासन विभाग को आर्बिट्रिट मामलों को छोड़कर विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संबंधित स्थापना संबंधी मामले।

4. हरिजन कल्याण निगम — सभी संबंधित मामले।

5. अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग से जुड़े मामले।

(क) भारत सरकार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त की रिपोर्ट पर विचार और कार्यान्वयन।

(ख) सामाजिक सुरक्षा विभाग, भारत सरकार में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के विचार-विमर्श पर विचार।

(ग) अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन।

(घ) कल्याण पर राज्य सलाहकार समिति और कल्याण पर एडहॉक समितियाँ और

(ङ) सेवाओं में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के सभी सदस्यों की शिकायतों का निवारण।

6. तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और विमुक्त जाति के सदस्यों के लिए आरक्षण के संबंध में नीति।

7. अनुसूचित जातियों/पिछड़े वर्गों और विमुक्त जातियों के कल्याण के लिए तैयार की गई योजनाएँ जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं —

(क) सामुदायिक केंद्रों की स्थापना।

(ख) आवास वसीयत निर्माण/पेयजल के लिए अनुदान राशि, सुअर पालन के कृषि उपकरणों और इनपुट्स की खरीद।

(ग) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र।

(घ) कानूनी सहायता का प्रावधान।

8. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समाज के सभी वर्गों को उनकी बेटियों की शादी के लिए कन्यादान योजना।

9. अंत्योदय।

XXI. "खेल तथा युवा मामले विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार खेल तथा युवा मामले विभाग के माध्यम से)" शीर्ष के नीचे,—

(i) "खेल तथा युवा मामले विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार खेल तथा युवा मामले विभाग के माध्यम से)" शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"खेल विभाग (प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, खेल विभाग के माध्यम से)";

(ii) कम संख्या 12 और उसके सामने प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;

- XXII. "तकनीकी शिक्षा विभाग (प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग के माध्यम से)" शीर्ष तथा उसके नीचे प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
- XXIII. "पर्यटन विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यटन विभाग के माध्यम से)" शीर्ष तथा उसके नीचे प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
- XXIV. "शहरी स्थानीय निकाय विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से)" शीर्ष के नीचे, कम संख्या 10 में, "अग्निशमन कार्यालय और" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;
- XXV. "अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार, अनुसूचित जातियां तथा पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से)" शीर्ष तथा उसके नीचे प्रविष्टियों का लोप कर दिया जाएगा;
- XXVI. "महिला तथा बाल विकास विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार, महिला तथा बाल विकास विभाग के माध्यम से)" शीर्ष तथा उसके नीचे प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित शीर्ष और उसके नीचे प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:-

"युवा अधिकारिता तथा उद्यमिता विभाग

(प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार, युवा अधिकारिता तथा उद्यमिता विभाग में माध्यम से)

कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा प्रशिक्षण विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को आबंटित मामलों को छोड़कर विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित स्थापना मामले।
2. परीक्षाएं आयोजित करना, उनके नियम बनाना और प्रमाण-पत्र प्रदान करना।
3. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा अन्य संस्थाओं के सभी शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों का निपटान करना।
4. सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और अन्य संस्थाओं का निरीक्षण तथा आय-व्यय के लेखों की लेखा परीक्षा करना।
5. विभाग का योजना और गैर-योजना बजट तैयार करना और विभिन्न योजनाओं (योजना और गैर-योजना) के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
6. औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के विस्तार, सुधार और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं की परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।
7. संस्थानों में छात्रों के लिए छात्रवृत्ति/वजीफा और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करना।
8. कौशल और औद्योगिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को विकसित करना और बढ़ावा देना।
9. उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान।
10. शिक्षुता प्रशिक्षण।
11. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (राजकीय फुटवियर संस्थान, रेवाड़ी सहित), मिनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना।
12. औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाली और राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् और राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् से सम्बद्ध निजी संस्थाएं।
13. राज्य शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद्।
14. राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्।
15. शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान।
16. हरियाणा कौशल विकास मिशन और राज्य में सभी केन्द्रीय/राज्य सरकार से वित्त-पोषित कौशल प्रशिक्षण।
17. हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और सम्बद्ध संस्थान।
18. राज्य में सभी निर्माण, प्रस्ताव, योजना, बजट और उनके कार्यान्वयन सहित कौशल विकास योजनाएं।
19. युवाओं और कार्य-बल के कौशल के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग।

रोजगार

1. नियोजनालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959, का (1959 का केन्द्रीय अधिनियम 31) और उसके अधीन बनाए गए नियम।
2. रोजगार पर समितियां।

3. सामान्य प्रशासन विभाग को आबंटित मामलों को छोड़कर विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संबंधित स्थापना संबंधी मामले।
4. राष्ट्रीय रोजगार सेवा-रोजगार कार्यालय।
5. समय-समय पर निर्धारित सरकारी नीति के अनुसार बेरोजगार युवाओं की कुछ श्रेणियों को बेरोजगारी भत्ता।
6. एक परिवार एक नौकरी योजना।
7. निजी क्षेत्र के साथ-साथ विदेशों में उम्मीदवारों की नियुक्ति की सुविधा प्रदान करना।

युवा मामले

1. युवा कार्यक्रम गतिविधियों को बढ़ावा देना।

चण्डीगढ़:
दिनांक 21 दिसम्बर, 2022.

बंडारू दत्तात्रेय,
राज्यपाल, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 22 दिसम्बर, 2022.

संजीव कौशल,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
CABINET SECRETARIAT

Notification

The 1st January, 2023

No. 6/4/2022-1Cabinet.— In exercise of the powers conferred under clauses (2) and (3) of article 166 of the Constitution of India, I, Bandaru Dattatraya, Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Business of the Haryana Government (Allocation) Rules, 1974, namely:-

1. These rules may be called the Business of the Haryana Government (Allocation) Third Amendment Rules, 2022.
2. In the Business of the Haryana Government (Allocation) Rules, 1974, in the Schedule,-
 - I. the heading "ARCHAEOLOGY & MUSEUMS DEPARTMENT (Through the Secretary to Government, Haryana, Archaeology and Museums Department)" and the entries thereunder shall be omitted;
 - II. the heading "ART AND CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT (Through the Secretary to Government, Haryana, Art and Cultural Affairs Department)" and the entries thereunder shall be omitted;
 - III. the heading "CONSOLIDATION DEPARTMENT (Through the Secretary to Government, Haryana, Consolidation Department)" and the entries thereunder shall be omitted;
 - IV. under the heading "EDUCATION DEPARTMENT (Through the Secretary to Government, Haryana, Education Department)", item (u) of serial number 3, serial number 13 and 14 and entries thereagainst shall be omitted;
 - V. after the heading "ELECTIONS DEPARTMENT (Through the Secretary to Government, Haryana, Elections Department)" and entries thereunder, the following heading and entries thereunder shall be inserted, namely:-

"ENERGY DEPARTMENT

(Through the Administrative Secretary to Government, Haryana, and Energy Department)

(A) POWER

1. Bhakra-Nangal Project including agreement between Punjab, Haryana and Rajasthan Governments.
2. Bhakra-Nangal High Powered committee-Report of and its follow-up action.
3. Electrical Inspectorate—All matters relating to.
4. Electricity Duty—All matters relating to.
5. Establishment matters relating to officers and the staff under the administrative control of the Department, except matters allotted to the General Administration Department.
6. Indian Electricity Act, 1910 (Central Act 9 of 1910) and Electricity (Supply) Act, 1948 (Central Act 54 of 1948)- Administration and enforcement of.
7. Irrigation and Power Research Institute—All matters relating to Power Department only.
8. Power Schemes for Five Year Plans and future Plans—Investigation and formulation of.
9. Multipurpose River Schemes—Matters relating to Power only.
10. Land Acquisition for works of Haryana Vidyut Prasaran Nigam, Haryana Power Generation Corporation Limited, Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam and Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam—All matters relating to.
11. Haryana Electricity Reform Act, 1997 (10 of 1998)-Administration and enforcement of.
12. Haryana Electricity Regulatory Commission—All matters relating to.

13. Haryana Vidhut Prasaran Nigam Limited—All matters relating to.
14. Haryana Power Generation Corporation Limited—All matters relating to.
15. Haryana Power Distribution Companies i.e. Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam and Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam—All matters relating to.
16. Director Power Reforms—All matters relating to.”

(B) NEW AND RENEWABLE ENERGY

1. All matters relating to the policy formulation, development and promotion of renewable energy in the State.
2. To make arrangement for processing the renewable energy sources based technologies in the State.
3. To plan and implement the programmes regarding dissemination of new technologies in the area of renewable energy sources.
4. All matters relating to liaison with Research Institutions, National Laboratories, Universities, Ministry of Non-conventional Energy Sources and Indian Renewable Energy Development Agency Limited both of Government of India, in the area of renewable energy sources.
5. Implementation of the Energy Conservation Act, 2001 (Central Act 52 of 2001).
6. Demand Side Management (DSM).
7. Development and utilization of renewable sources of energy.
8. To implement various relevant clauses concerning promotion generation of power from new and renewable sources of energy of the Electricity Act, 2003 (Central Act 36 of 2003).
9. All establishment matters relating to officers and staff under the administrative control of the department, except matter allotted to the General Administration Department.”;

VI. the heading “INFORMATION TECHNOLOGY, ELECTRONICS AND COMMUNICATION DEPARTMENT (Through the Secretary to Government, Haryana, Information Technology, Electronics And Communication Department)” and the entries thereunder shall be omitted;

- VII. (i) for the heading “ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE DEPARTMENT (Through the Secretary to Government, Haryana, Environment & Climate Change Department)” the heading “ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE DEPARTMENT (Through the Administrative Secretary to Government, Haryana, Environment, Forests and Wildlife Department)” shall be substituted;
- (ii) under the said heading, after existing serial numbers and entries thereagainst, the following sub-head, serial numbers and entries thereagainst shall be added, namely:-

“FORESTS

1. All matters relating to Forests Department including forests settlements, afforestation, erosion, soil conservation and denudation, forest working plans, forest contracts, sale of timber, amboos, Bhabbar Grass, Resin and Turpentine and other forest produce and allied matters.
2. All matters relating to the administration of the following Acts:-
 - (i) The Indian Forest Act, 1927 (Central Act 16 of 1927).
 - (ii) The Haryana Land Preservation Act, 1900 (Punjab Act II of 1900).
 - (iii) The Patiala Forests Act, 1999 Bik.
 - (iv) The Haryana Forest (Sale of Timber) Act, 1913 (Punjab Act 3 of 1913).
 - (v) The Wild Life (Protection) Act, 1972 (Central Act 53 of 1972) and the rules made thereunder.
3. Establishment matters relating to officers and staff under the administrative control of the Department except matters allotted to the General Administration Department.

4. Newsprint and other forest based industries.
 5. Indian Forest Service.
 6. Protection of Flora and Fauna.
 7. Protection of birds and wild animals (this includes Preservation of life in forests).
 8. Management of National Parks and Birds Sanctuaries in the State and also the management of zoo, deer parks, wild life breeding centers and wild life sanctuaries.”;
- VIII. under the heading “FINANCE AND INSTITUTIONAL FINANCE AND CREDIT CONTROL DEPARTMENT (Through the Secretary to Government, Haryana, Finance and Institutional Finance and Credit Control Department)”, after serial number 34 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be added at the end, namely:-
- “35. Directorate of Supplies and Disposals.”;
- IX. the heading “FORESTS DEPARTMENT (Through the Secretary to Government, Haryana, Forests Department)” and the entries thereunder shall be omitted;
- X. under the heading “GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT (Through the Chief Secretary)”,-
- (i) under sub-head “(B) General”, after serial number 28 and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be added, at the end, namely:-
 - “29. All matters concerning Administrative Reforms in the departments of the Government and introduction of Organization and Methods work.
 30. All matters relating to Administrative Reforms Commission and follow up action on its reports.
 31. Associations of Government employees-Policy regarding.
 32. Classification of Offices.
 33. Inspection for delay checking and other administrative lapses in various departments.
 34. Joint Consultative Machinery for Government employees.
 35. Policy regarding Records Management in Government departments.
 36. Revision and updating of Secretariat instructions and Office Manuals.
 37. Work study of various departments of Government for assessing staff requirements.
 38. Right to Information Act, 2005 (Act 22 of 2005).
 39. All matters relating to the State Information Commission.
 40. Preparation and implementation of Citizen’s charters of departments.
 41. Haryana Public Service Commission/Haryana Staff Selection Commission.
 42. Policy regarding Common Eligibility Test.
 43. Monitoring & Coordination.”;
 - (ii) sub-head “(F) Administrative Reforms” and existing entries thereunder shall be omitted;
 - (iii) under sub-head “(H) Citizen Resources Information”, after serial number 8 and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be added at the end, namely:-
 - “9. All matters concerning computerbased information, technology and processing including hardware and software and standardization of procedures”.
 10. All technology pertaining to silicon, other than metallurgical grade silicon.
 11. Co-ordination of requirements relating to electronics processing equipments (computers).
 12. Establishment matters, relating to officers and staff under the administrative control of the department except matters allotted to the General Administration Department.

13. To Develop and promote, Information Technology based system in the State.
 14. To create infrastructure facilities for rapid growth of Information Technology and equipment.
 15. To develop data base information Technology system and to provide facilities of data base to the manufacturing units and promoters/entrepreneurs.
 16. To inter-link various departments and agencies of the State and to create a common information base network.
 17. To create infrastructure facilities for training and manpower development in the field of Information Technology.
 18. To ensure the implementation of the State's policy in all matters concerning Communication Technology and all other directions-guidelines issued by the Government of India from time to time on Telecommunication Sector.”;
- (iv) under sub-head “(I) Human Resources Department”, serial numbers 3 and 4 and entries thereagainst shall be omitted.”;
- XI. after the heading “HEALTH DEPARTMENT (Through the Secretary to Government Haryana, Health Department)” and entries thereunder, the following heading and entries thereunder shall be inserted, namely:-

“HERITAGE AND TOURISM DEPARTMENT

(Through the Administrative Secretary to Government, Haryana, Heritage and Tourism Department)

1. Administration of the Haryana Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1964 (Punjab Act 20 of 1964), and all matters connected therewith.
2. **Archaeology**
 - (i) Maintenance, Conservation and Preservation of State Protected Monuments/Sites and Remains;
 - (ii) Conducting Archaeological explorations, excavations;
 - (iii) Chemical preservation of monuments and antiquarian remains;
 - (iv) Archaeological survey of monuments;
 - (v) Development of epigraphically research and publications.
3. **Museums**
 - (i) Setting up re-organisation of Museums;
 - (ii) Organisation of exhibition, re-organisation/modernization of galleries;
 - (iii) Sale of plaster casts/fiberglass replicas of select museums pieces;
 - (iv) Acquisition of Art Objects.
4. Establishment matters relating to officers and staff under the administrative control of the department except matters allotted to the General Administration Department.”.
5. **Tourism**
 1. Construction/Maintenance of Tourist Bungalows.
 2. Development of Tourism including development and publicity of Tourist Centers.
 3. Establishment matters relating to officers and staff under the administrative control of the Department except matters allotted to the General Administration Department.
 4. Local Tourist Advisory Committees.
 5. State Tourism Development Board.
 6. Transport facilities for tourists.

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

(Through the Administrative Secretary to Government, Haryana, Higher Education Department)

HIGHER EDUCATION

1. State Institute of Education
2. Recognition of Degrees and Diplomas, etc.
3. Universities and their administration.

TECHNICAL EDUCATION

1. Establishment matters relating to officers and staff under the administrative control of the Department, except matters allotted to the Personnel, General Administration, Administrative Reforms and Training Department.
2. To accord affiliations to the Diploma level institutions.
3. To conduct examinations, frame rules thereof and to award diplomas.
4. To deal Academic, Administrative and financial matters.
5. To inspect and audit income-expenditure accounts of all Government Polytechnics/ institutions.
6. To inspect and Audit income-expenditure accounts of Government Aided Technical institutions.
7. To prepare the Plan and Non-Plan Budgets of the Department and monitor the implementation of various schemes (Plan and Non-Plan).
8. To prepare project reports of various schemes for the expansion, improvement and Development of Technical Education.
9. To arrange scholarships/stipend and other facilities to the students.
10. To develop and promote Technical Education both at post-Diploma, Diploma and Degree level Courses.
11. The Pharmaceutical Education.
12. Formulation of Policies for the students belonging to weaker sections of society.
13. Formulation of policies for encouraging quality Technical Education at all levels.
14. Regulation and standardization of Technical Education at certificate, Diploma, Post Diploma, Under Graduate and Post Graduate level.
15. Administration and Control of all Government Institutions relating to Technical Education or any other Institute to be opened by Government in the Field of Technical Education.
16. Regulation of examination, Admissions, fee and all incidental matters of private and Government Institutions under the ambit of the Department.
17. Arranging funds for development of Technical Education and encouraging investment in Technical Education through Public Private Partnerships.
18. Mobilization of funds from Government of India under various schemes and implementation of these schemes and disbursement of funds under various schemes.
19. Regulation and monitoring of all AICTE approved courses such as Engineering, MBA, MCA, Hotel Management and Catering Technology, Pharmacy, Architecture, Diploma etc.
20. Mapping of Human Resources need in Technical Education and planning of Human Resources Development according to the needs of the State, Initiating new schemes for promoting Technical Education.
21. Inspection and monitoring of Technical Institutions including State/ Private and Deemed Universities offering Technical Education for verification of infrastructure, faculty, machinery equipment and other facilities for quality technical education at all levels.
22. Reorganization of the courses and institutions of technical education.

23. Inter-State and Intra-State coordination in the Technical Education.
24. Technical Education Quality improvement programs and training.
25. Technical Education- all matters relating to and including:-
 - (a) the Haryana State Board of Technical Education Act, 2008 (19 of 2008);
 - (b) the Haryana Private Technical Education Institution (Regulation of Admission and Fee) Act, 2012 (18 of 2012);
 - (c) Haryana State Technical Education Society.

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. Identification of new technology for agriculture and industry.
 2. All matters relating to arrangements for processing the new technology.
 3. All matters relating to liaison with Research Institutions, National Laboratories, Universities and Department of Science and Technology of the Government of India.
 4. Dissemination of new technology in the State;
- XII. under heading "INDUSTRIES AND COMMERCE DEPARTMENT (Through the Secretary to Government, Haryana, Industries and Commerce Department)", for serial number 59 and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be substituted, namely:-
59. All technology pertaining to silicon, other than metallurgical grade silicon.
 60. Co-ordination of requirements relating to electronics processing equipments (computers).
 61. Development of electronics and co-ordination amongst its various users.
 62. To provide technology service and congenial atmosphere for manufacturing units and promoters/entrepreneurs.
 63. To create infrastructure facilities for training and manpower development in the field of Information Technology.
 64. To ensure the implementation of the State's policy in all matters concerning Communication Technology and all other directions-guidelines issued by the Government of India from time to time on Telecommunication Sector".
 65. Hartron.;
- XIII. for the heading " INFORMATION, PUBLIC RELATIONS AND LANGUAGE DEPARTMENT (Through the Secretary to Government, Haryana, Information, Public Relations and Language Department)",-
- (i) the following heading shall be substituted, namely:-
 "INFORMATION, PUBLIC RELATIONS, LANGUAGES AND CULTURE DEPARTMENT (Through the Administrative Secretary to Government, Haryana, Information, Public Relations, Languages and Culture Department)";
 - (ii) after existing serial numbers and entries thereagainst, the following sub-head and entries thereunder shall be added, namely:-

"CULTURE

1. Compilation of data and dissemination of information pertaining to art and culture.
2. Encouraging promising artistes through a scheme of scholarships for study in India or abroad.
3. Establishment matters relating to officers and staff under the administrative control of the Department except matters allotted to the General Administration Department.
4. Fostering an aesthetic taste in the minds of the people of Haryana.

5. Fostering music, drama, dance, painting, culture etc. amongst all sections of the people and especially among school-going students as well as college and university students by all means including the holding of competitions.
 6. Giving grants-in-aid to institutions devoted to fostering art and culture in Haryana.
 7. Giving or sponsoring of cultural performances. (Including the actual performances and music or dance performances).
 8. Organising conferences, seminars etc. on art subjects.
 9. Producing or assisting in the production of films.
 10. Setting up or assisting in the setting up of an academy or academies devoted to music, dance, culture etc.
 11. Setting up or assisting in the setting up of an art museum.
 12. Setting up or assisting in the setting up of libraries devoted to the collection of books, films, records etc. on art and culture.
 13. Undertaking the artistic decoration of all Government buildings”;
- XIV. under the heading “LABOUR AND EMPLOYMENT (Through the Secretary to Government, Haryana, Labour and Employment Department),-
- (i) for the heading “LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT (Through the Administrative Secretary to Government, Haryana, Labour and Employment Department)”, the following heading shall be substituted, namely:-
“LABOUR DEPARTMENT (Through the Administrative Secretary to Government, Haryana, Labour Department)”;
 - (ii) the sub-head “(B) Employment” and entries thereunder shall be omitted;
- XV. the heading “NEW AND RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT (Through the Secretary to Government, Haryana, New and Renewable Energy Department)” and entries thereunder shall be omitted;
- XVI. the heading “POWER DEPARTMENT (Through the Secretary to Government, Haryana, Power Department)” and the entries thereunder shall be omitted;
- XVII. under the heading “REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT (Through the Secretary to Government, Haryana, Revenue and Disaster Management Department)”,-
- (i) after serial number 63 and entries thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be added at the end, namely:-
‘64. Fire Office.’;
 - (ii) under sub-head “(A) REHABILITATION”, after serial number 3 and entries thereagainst, the following sub-head and entries thereunder shall be added at the end, namely:-
“(B) CONSOLIDATION
1. All matters relating to consolidation of holdings operations including administration of the Haryana Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948 (East Punjab Act 50 of 1948).
 2. Establishment matters relating to officers and staff under the administrative control of the Department except matters allotted to the General Administration Department.”;
- XVIII. the heading “SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT (Through the Secretary to Government, Haryana, Science and Technology Department) and entries thereunder shall be omitted;
- XIX. the heading “SKILL DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL TRAINING DEPARTMENT (Through the Administrative Secretary to Government, Haryana, Skill Development and Industrial Training Department)” and the entries thereunder shall be omitted;

XX. under the heading "SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT (Through the Secretary to Government, Haryana, Social Justice and Empowerment Department)",-

- (i) for the heading "SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT DEPARTMENT (Through the Secretary to Government, Haryana, Social Justice and Empowerment Department)" the following heading shall be substituted, namely:-

"SOCIAL JUSTICE, EMPOWERMENT, WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND BACKWARD CLASSES AND ANTYODAYA (SEWA) DEPARTMENT (Through the Administrative Secretary to Government, Haryana, Social Justice, Empowerment, Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Welfare and Antyodaya (Sewa) Department)";

- (ii) after existing serial numbers and entries thereagainst, the following sub-head and entries thereunder shall be added, namely:-

"WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND BACKWARD CLASSES

1. Co-ordination, supervision and direction of the activities of other Departments in the matter of implementation of schemes designed for welfare of Scheduled Castes and Backward Classes and Vimukta Jatis, e.g. Education Department for Harijan Educational Concession Scheme, Industries and Industrial Training Department for Industrial Training Schools, Local Government Department for improvement in living and working conditions of Sweepers and Scavengers etc.
2. Eradication of untouchability including administration of the Untouchability (Offences) Act, 1955 (Central Act 22 of 1955).
3. Establishment matters relating to officers and staff under the administrative control of the Department except matters allotted to the General Administration Department.
4. Harijan Kalyan Nigam -All matters relating to.
5. Matters connected with the welfare of Scheduled Castes, Backward Classes and Vimukta Jatis including-
 - (a) Consideration and implementation of the report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Government of India;
 - (b) Consideration of the deliberations of the Central Advisory Board in the Department of Social Security Government of India;
 - (c) Revision of lists of Scheduled Castes and Backward Classes;
 - (d) State Advisory Committee on Welfare, and Adhoc Committees on Welfare; and
 - (e) Redressal of grievances of all members of Scheduled Castes/Tribes, and Backward Classes in services.
6. Policy regarding reservations for the members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and Vimukta Jatis for admission to the Technical Training Institutions.
7. Schemes designed for the welfare of the Scheduled Castes/Backward Classes and Vimukta Jatis including-
 - (a) Establishment of Community Centers.
 - (b) Grant of subsidy for construction of houses / wells, drinking water facilities, purchase of piggery agricultural implements and inputs.
 - (c) Pre-examination Training Centers.
 - (d) Provision of legal aid.
8. Kanyadaan Scheme to all the sections of the society living below the poverty line for the marriage of their daughters.
9. Antyodaya;

- XXI. under the heading "SPORTS AND YOUTH AFFAIRS DEPARTMENT (Through the Secretary to Government, Haryana, Sports and Youth Affairs Department)",-
- (i) for the heading "SPORTS AND YOUTH AFFAIRS DEPARTMENT (Through the Secretary to Government, Haryana, Sports and Youth Affairs Department)", the following heading shall be substituted, namely:-
- "SPORTS DEPARTMENT (Through the Administrative Secretary to Government, Haryana, Sports Department)" shall be substituted;
- (ii) serial number 12 and entries thereagainst shall be omitted;
- XXII. the heading "TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT (Through the Administrative Secretary to Government, Haryana, Technical Education Department)" and entries thereunder shall be omitted;
- XXIII. the heading "TOURISM DEPARTMENT (Through the Secretary to Government, Haryana, Tourism Department)" and entries thereunder shall be omitted;
- XXIV. under heading "URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT (Through the Secretary to Government, Haryana, Urban Local Bodies Department)", in serial number 10, the words "Fire Office and" shall be omitted;
- XXV. the heading "WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND BACKWARD CLASSES DEPARTMENT (Through the Secretary to Government, Haryana, Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department)" and entries thereunder shall be omitted;
- XXVI. after the heading "WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT (Through the Secretary to Government, Haryana, Women and Child Development Department)" and entries thereunder, the following heading and entries thereunder shall be added, namely:-

"YOUTH EMPOWERMENT AND ENTREPRENEURSHIP DEPARTMENT"

(Through the Administrative Secretary to Government, Haryana, Youth Empowerment and Entrepreneurship Department)

SKILL DEVELOPMENT AND INDUSTRIAL TRAINING

1. Establishment matters relating to officers and staff under the administrative control of the Department, except matters allotted to the Personnel, Administrative Reforms, Training Department and General Administration Department.
2. To conduct examinations, frame rules thereof and to award certificates.
3. To deal all academic, administrative and financial matters of Government Industrial Training Institute and other institutions.
4. To inspect and audit income-expenditure accounts of all Government Industrial Training Institute and other institutions.
5. To prepare the Plan and Non-Plan Budgets of the Department and monitor the implementation of various schemes (Plan and Non- Plan).
6. To prepare project reports of various schemes for the expansion, improvement and Development of Industrial Training and Skill Development.
7. To arrange scholarships/stipend and other facilities to the students in the institutions.
8. To develop and promote Skills and Industrial Training Courses.
9. Advanced Vocational Training Institutions.
10. Apprenticeship Training.
11. Industrial Training Institutes (including Government Footwear Institute, Rewari), Mini Industrial Training Institutes and Craftsmen Training Scheme.
12. Private Institutions imparting Industrial Training and affiliated to State Council for Vocational Training and National Council for Vocational Training.
13. State Council for Apprenticeship Training.

14. State Council for Vocational Training.
15. Teachers Training Centers, Institute of Training of Trainers.
16. Haryana Skill Development Mission and all central/state government funded skill training in the State.
17. Haryana Vishwakarma Skill University and affiliated institutions.
18. All Skill Development Schemes including formulation, proposal, planning, budget and their implementation in the State.
19. Collaboration, national and international, for skilling of youth and the work force".

EMPLOYMENT

1. Administration of the Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959, (Central Act 31 of 1959) and rules made thereunder.
2. Committees on Employment.
3. Establishment matters relating to officers and staff under the administrative control of the Department except matters allocated to the General Administration Department.
4. National Employment Service—Employment Exchanges.
5. Unemployment Allowance to some categories of unemployed youth as per the Government policy laid down from time to time.
6. One Family one job Scheme.
7. Facilitating the placing of candidates in the private sector as well as in the overseas sector.

YOUTH AFFAIRS

1. Promotion of Youth programme Activities."

Chandigarh:
The 21st December, 2022.

BANDARU DATTATRAYA,
Governor of Haryana.

Chandigarh:
The 22nd December, 2022.

SANJEEV KAUSHAL,
Chief Secretary to Government Haryana.